न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/218 (काउंटर क्लेम) **दायरा दिनांक : 12.12.2022**

उनवान

1. ओम प्रकाश आत्मज भंवरलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी मांगरोल, जिला बारां (राज0)
2. भूली बाई पत्नी पुरुषोत्तम, जाति ब्राह्मण, निवासी मांगरोल, जिला बारां हाल निवासी कोयला, जिला बारां (राज0) मृतक कायम मुकामान :–
   2/1 बालकिशन
   2/2 चन्द्र मोहन
   2/3 धर्मेन्द्र
   2/4. कृष्णा
   2/5. विष्णु बाई
   2/6 साधना बाई
   2/7. सुनिता बाई
   पिसरान स्वर्गीय पुरुषोत्तम, जाति ब्राह्मण, निवासी मांगरोल, जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र गोरधन, जाति ब्राह्मण, निवासी धतुरिया, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज0)
2. रामनारायण उर्फ बद्रीलाल, जाति माली, निवासी भगवानपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बांरा (राज0) मृतक कायम मुकामान :–
   2/1 लक्ष्मीचन्द
   2/2 बिहारी लाल
   2/3 ओम प्रकाश
   2/4 घनश्याम
   2/5 अशोक
   पिसरान रामनारायण, जाति माली, निवासीगण वार्ड नम्बर 1, भगवानपुरा मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां राजस्थान
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बांरा (राज0)

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2022/220 **दायरा दिनांक : 12.12.2022**

उनवान

1. ओम प्रकाश आत्मज भंवरलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी मांगरोल, जिला बारां (राज0)
2. भूली बाई पत्नी पुरुषोत्तम, जाति ब्राह्मण, निवासी मांगरोल, जिला बारां हाल निवासी कोयला, जिला बारां (राज0) मृतक कायम मुकामान :–
   2/1 बालकिशन
   2/2 चन्द्र मोहन
   2/3 धर्मेन्द्र
   2/4. कृष्णा
   2/5. विष्णु बाई
   2/6 साधना बाई
   2/7. सुनिता बाई
   पिसरान स्वर्गीय पुरुषोत्तम, जाति ब्राह्मण, निवासी मांगरोल, जिला बारां (राज0)

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

.... अपीलांट

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र गोरधन, जाति ब्राह्मण, निवासी धतुरिया, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज0)
2. रामनारायण उर्फ बद्रीलाल, जाति माली, निवासी भगवानपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बांरा (राज0) मृतक कायम मुकामान :–
   2/1 लक्ष्मीचन्द
   2/2 बिहारी लाल
   2/3 ओम प्रकाश
   2/4 घनश्याम
   2/5 अशोक
   पिसरान रामनारायण, जाति माली, निवासीगण वार्ड नम्बर 1, भगवानपुरा मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां राजस्थान
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बांरा (राज0)

..... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री ओ.पी.मेंहता ।। एवं श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री ओम भारद्वाज एवं श्री देवकी नन्दन गालव अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 16.01.2025**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 162/2006 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.11.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम मांगरोल की आराजी खसरा नम्बर 4236 रकबा 1.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 4237/5023 रकबा 0.39 हेक्टर, खसरा नम्बर 4240 रकबा 1.00 हेक्टर कुल किता 3 रकबा 2.69 हेक्टर स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.11.2022 से वाद वादीगण खारिज किया तथा काउंटर क्लेम प्रतिवादी क्रम 1 स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

इस न्यायालय में प्रस्तुत दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

काउंटर क्लेम अपील संख्या 2022/218 (काउंटर क्लेम) व अपील संख्या 2022/220 दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व निर्णय पत्रावली संग्रहसार एवं विधि के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 प्रतिवादी मोहनलाल का काउन्टर क्लेम गलत तथ्यों के आधार पर स्वीकार करके प्राथमिक डिक्री पारित की है जो अपीलान्ट्स के हितों के विरूद्ध हर तरह से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12.11.2022 को जो डिक्री व निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत ने पारित किया है वह अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये हुए एवं अपना पक्ष रखे बिना ही पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय एवं सी.पी.सी. के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत होने के कारण हर तरह से निरस्त होने योग्य है। कस्बा मांगरोल में खसरा नम्बर 4236 की 1.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 34/5023 की 0.39 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 4220 की 1.00 हेक्टर कुल 3 किता की 2.69 हेक्टर आराजी स्थित है। वास्तविकता इस प्रकार से है कि उपरोक्त आराजी को रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के पिता गोरधन सम्वत 2010 में चले गये थे और जाते वक्त प्रतिवादी क्रम 1 मोहनलाल के पिता गोरधन ने छप्पनी बाई को अपने हिस्से की आराजी का मौखिक हक त्याग करते हुए कहा और उन्हें आश्वासन दिया कि मुझे ग्राम धतूरिया की आराजी मिल गई है, इस कारण से ग्राम मांगरोल की आराजी मुझे नही चाहिये और तुम मेरे हिस्से की खाते की आराजी को तुम अपने खाते बंधवा लेना और गोरधनलाल जी के धतूरिया जाने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 मोहनलाल का जन्म भी ग्राम धतूरिया में ही हुआ था, तब से ही विगत 75, 80 वर्षों से भी अधिक समय से उपरोक्त आराजी को अपीलान्ट/वादीगण ही सबकी जानकारी में काश्त करते हुए निरन्तर एवं निर्विरोध से चले आ रहे है और फसल का उपयोग व उपभोग करते हुए भी चले आ रहे है, एवं उपरोक्त आराजी की कर्ता पिलाई भी अपीलान्ट ही अदा करते हुए चले आ रहे हैं, वर्तमान में भी कर रहे हैं। इस उपरोक्त तथ्य की जानकारी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 प्रतिवादी क्रम 1 मोहनलाल को शुरू से ही है। इस प्रकार से रेस्पोडेन्ट क्रम 1 मोहनलाल का उपरोक्त आराजी से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कोई संबंध नहीं रहा है, स्वयं रेस्पोडेन्ट मोहनलाल प्रतिवादी नम्बर 1 ने जवाबदावा एवं काउण्टर क्लेम की मद नम्बर 3 में दिनांक 25.08.2005 को यह स्वीकार किया है कि ओम प्रकाश प्रतिवादी के हिस्से की जमीन पर बाधा डालते हुए जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहता है। इस कारण से रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी क्रम 1 मोहनलाल धारा 115 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार अपीलान्ट्स के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु एस्टोप्ड है। फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों के विरूद्ध जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में अपीलान्ट्स की गैर मौजूदगी में उनके विरुद्ध काउण्टर क्लेम पारित करके प्राथमिक डिक्री जारी की है जो हर तरह से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट वादीगण के द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अपने प्रकरण को पूर्णतया प्रमाणित कर दिया गया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विधिवत रूप से अवलोकन किये बिना ही राष्ट्रीय लोक अदालत में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 मोहनलाल का काउण्टर क्लेम स्वीकार करके प्राथमिक डिक्री जारी की है वह हर तरह से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त प्रकरण में 7 तनकीयां कायम की थी परन्तु उनके द्वारा तनकी नम्बर 3 व 4, तनकी नम्बर 5 व 7 तथा तनकी नम्बर 1, 2 व 6 का संयुक्त रूप से निर्णय पारित किया है जबकि कानूनन आदेश 20 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत आज्ञापक प्रावधानों की पालना करते हुए प्रत्येक तनकी का अलग अलग निर्णय पारित

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

करना चाहिये था जो कि उक्त प्रकरण में पारित नहीं हुआ है फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का काउण्टर क्लेम स्वीकार करके प्राथमिक डिक्री उसके हक में परित की जो हर तरह से निरस्त होने योग्य है। अतः अपील संख्या 2022/2018 प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 मोहनलाल के पक्ष में पारित काउण्टर क्लेम एवं प्राथमिक डिक्री को निरस्त फरमायी जावे। एवं अपील संख्या 2022/220 प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि अपील, अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय दिनांक 12.11.2022 को निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलांट्स /वादीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था उसे स्वीकार फरमाया जावे।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील सं. 2022/218 (काउंटर क्लेम) व अपील सं. 2022/220 में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12.11.2022 को जो काउण्टर क्लेम को राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किया है 2010 में ग्राम धतूरिया, तहसील अन्ता में चले गये थे और उन्होंने जाते वक्त प्रतिवादी नं0 1 के पिता गोरधन ने छपन्नी बाई को पारिवारिक सेटलमेंन्ट के तहत अपने हिस्से की आराजी का मौखिक त्याग करते हुये आश्वासन दिया कि मुझे पारिवारिक सेटलमेंन्ट में ग्राम धतूरिया, तहसील अन्ता की आराजी मिल गई है इस कारण से ग्राम मांगरोल की आराजी से उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में यह भूमि नहीं चाहिये और तुम उसे अपने खाते बंधाले मुझे कोई एतराज नहीं है। गोरधन जी के ग्राम धतूरिया, तहसील अन्ता जाने के पश्चात रेस्पो० नं० 1 मोहनलाल का जन्म भी ग्राम धतूरिया, तहसील अन्ता में हुआ है और मोहनलाल ही विगत 75–80 साल से ग्राम धतुरिया, तहसील अन्ता की भूमि को ही काश्त करते चले आ रहे हैं इसलिये मोहनलाल के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपने जवाबदावे की मद नं0 3 में दिनांक 25.8.2005 को यह स्वीकार किया गया है कि ओम प्रकाश अपीलान्ट प्रतिवादी मोहनलाल के हिस्से की जमीन पर बाधा डालते हुये जबरन कब्जा करना चाहता है, इस कारण से रेस्पो0 नं0 1 मोहनलाल धारा 115 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध कार्यवाही करने से स्टोप्ड है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में उक्त काउन्टर क्लेम स्वीकार किया है जो हर प्रकार से निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंट के अभिवचनों के आधार पर 7 तनकीयां बनाई थी परन्तु उनके द्वारा तनकी नं0 3 व 4 एवं तनकी नं0 5 व 7 तथा तनकी नं0 1, 2 व 6 का संयुक्त रूप से निर्णय पारित किया है। जबकि कानूनन आदेश 20 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत आज्ञापक प्रावधानों की पालना करते हुये अलग अलग निर्णय पारित करना चाहिये था जो कि उक्त प्रकरण में पारित नहीं किया गया है इस कारण से अधीनस्थ न्ययालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है ।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलान्ट अपने प्रकरण के सम्बन्ध में निम्न नजीरे प्रस्तुत करता है–

(1) आर. आर. टी. 2003(1) पेज 647 से 650
(2) आर. बी. जे. 2022 पेज 551 से 554
(3) आर. आर. टी. 2023 (1) पेज 1 से 3 तक
(4) आर. आर. टी. 2003 (1) पेज 709 से 714
(5) आर. बी. जे. 2023 पेज 60 से 64

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित काउन्टर क्लेम एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12.11.2022 को निरस्त फरमाया जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में ओमप्रकाश और भूलीबाई ने घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा किया था। छगनीबाई को मृतक बता के दो वारिस कंचन वारिस ओम प्रकाश और भूलीबाई बनाई। वादग्रस्त आराजी को मोहनलाल प्रतिवादी नं. 3 ने कभी भी काश्त नहीं किया। अतः हमें इनके 1/3 हिस्से पर खातेदार घोषित किया जाये। वादग्रस्त भूमि में मोहनलाल 1/3 हिस्से पर काबिज है, छगनीबाई के 1/3 पर वारिसान कंचन व ओमप्रकाश काबिज है, एवं सच्चीदानन्द ने 1/3 हिस्सा विक्रय किया जो केता के नाम दर्ज हो गया। जबकि सच्चीदानन्द का नाम विक्रय करने के बाद भी दर्ज रहा और केता का भी नाम दर्ज हो गया। ग्राम धतूरिया की आराजी गोवरधन ने छगनीबाई से एक्सचेंज कर ली, यह कथन किया है दस्तावेज पेश नहीं किया और वाद की मद नं. 7 में लिखा है। प्रतिवादी नं. 2 केता है। जवाबदावा मय काउंटर क्लेम पेश कर कब्जे को अस्वीकार किया एवं भूमि एक्सचेंज को अस्वीकार किया। अधीनस्थ न्यायालय ने काउंटर क्लेम स्वीकार किया तथा दावा खारिज किया है। अपील में यह गलत कथन किया कि काउंटर क्लेम विभाजन के लिए पेश किया तो सभी सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया जबकि सभी सहखातेदारान पार्टी है। अपीलीय कोर्ट ने पूर्व में इसी तथ्य के आधार पर प्रकरण रिमाण्ड हुआ। रामनारायण की मृत्यु के बाद नोटिस जारी कर सुनवायी की इनका कोई विवाद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः निर्णय वही किया उसकी पुनः अपील की। दावे के खिलाफ जो खारिज हुआ और काउंटर क्लेम को स्वीकार किया। सम्पूर्ण पत्रावली में केवल कब्जे की ही बात कही है जिसे दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया है। कब्जे के कथन से सहखातेदार के अधिकार खत्म नहीं होते। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के पूर्व निर्णय के आधार पर वर्तमान निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं आया अर्थात अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया। वादी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा–88, 89, 92 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजी पर वादीगण का लगभग 65–75 वर्षों से कब्जा काश्त होने एवं प्रतिवादी क्रम 1 के पिता

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

स्वर्गीय गोरधन ने छप्पनी बाई को अपने हिस्से का त्याग करने का कथन करते हुए विवादित आराजी में से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का नाम हटाया जाकर स्वयं को खातेदार घोषित करने एवं प्रतिवादी क्रम 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने की प्रार्थना की है। साथ ही वादी द्वारा वाद पत्र की मद सं. 7 में तुलसा बाई जोजे सच्चीदानंद व मन्नी बाई पुत्री सच्चीदानंद द्वारा अपने हिस्से की आराजी का बेचान प्रतिवादी रेस्पोडेंट क्रम 1 को किया जाना बताकर इन दोनों सहखातेदारों का नाम खाते से हटाया जाना अंकित किया है। प्रतिवादी रेस्पोडेंट क्रम 1 मोहनलाल द्वारा जवाब दावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किया है कि विवादित सम्पूर्ण आराजी पर वादीगण का ही कब्जा काश्त नहीं रहा है। विवादित आराजी में मोहनलाल प्रतिवादी का 1/3 हिस्सा, कंचन बाई का 1/3 एवं सत्य बाई पत्नि सच्चीदानंद एवं मन्नी बाई पुत्री सच्चीदानंद का 1/3 हिस्सा रिकॉर्ड में दर्ज है। हिस्से अनुसार सहखातेदारान विवादित आराजी पर काबिज है। सेटलमेंट से पूर्व भी आराजी सहखातेदारी में दर्ज थी। साथ ही प्रतिवादी रेस्पोडेंट क्रम 2 मोहनलाल द्वारा भी प्रस्तुत जवाब दावा एवं काउंटर क्लेम की मद सं. 2 में विवादग्रस्त आराजी में सत्य बाई और मन्नीबाई का नाम हटाये जाने योग्य होना बताया है और अंकित किया है कि सत्य बाई उर्फ तुलसा जोजे सच्चीदानंद और मुन्नी बाई पुत्री सच्चीदानंद ने अपना हिस्सा खसरा नं. 4237 में से 1.30 हेक्टर रामनारायण पुत्र बद्रीलाल, जाति माली प्रतिवादी क्रम 2 को विक्रय कर कब्जा दे दिया है जिसका इंतकाल नं. 479 दिनांक 01.07. 2000 को स्वीकृत होकर प्रतिवादी क्रम 2 रामनारायण के खाते अलग से दर्ज कर दी गई है। इस प्रकार शेष वादग्रस्त आराजी 2.69 हेक्टर में अब 1/2 हिस्सा प्रतिवादी मोहनलाल का है अतः काउन्टर क्लेम प्रतिवादी स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजी में प्रतिवादी मोहनलाल का 1/2 हिस्सा पृथक किया जाकर पृथक खाते राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर तनकीवार विवेचन के पश्चात अपने निर्णय दिनांक 11.03.2014 से वादीगण का वाद खारिज कर प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी कुल किता 3 रकबा 2.69 हेक्टर में प्रतिवादी क्रम 1 का 1/2 हिस्सा घोषित कर पृथक खाते दर्ज करने एवं सहखातेदार सत्य बाई उर्फ तुलसा बाई जोजे सच्चीदानंद, मन्नी बाई पुत्री सच्चीदानंद हिस्सा 1/3 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किये जाने का आदेश जारी किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर वादी द्वारा न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील संख्या 62/2014 प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बाद परीक्षण वादी अपीलांट की अपील को अपने निर्णय दिनांक–14.11.2014 से आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.03.2014 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि प्रकरण में सत्य बाई उर्फ तुलसा जोजे सच्चीदानन्द व मन्नी बाई पुत्री सच्चीदानंद को पक्षकार बनाकर उन्हें सुनने व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित करने हेतु आदेशित किया।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को पुनः दर्ज कर सत्य बाई उर्फ तुलसा जोजे सच्चीदानंद व मन्नी बाई पुत्री सच्चीदानंद को पक्षकार बनाते हुए सुनवाई हेतु नोटिस अखबार में साया कराना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है। बाद नोटिस पक्षकार सत्य बाई उर्फ तुलसा व मन्नी बाई के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर समाप्त किया गया। वादीगण द्वारा दिनांक 30.08.2019 को आदेश 14 नियम 5 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र वास्ते तनकी नं. 5 व 7 विलोपित किये जाने बाबत पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया गया। प्रार्थना पत्र पर पारित अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध वादीगण द्वारा निगरानी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष पेश की गई। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में अपने निर्णय दिनांक 10.09.2021 से निगरानी खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.08.2019 को यथावत रखा। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में कायम की गई तनकीयात पर पुनः तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 12.11.2022 से वादीगण अपीलांट का वाद खारिज कर काउन्टर क्लेम प्रतिवादी रेस्पोडेंट कम 1 स्वीकार करते हुए वादपत्र की मद नं. 2 में वर्णित आराजी खसरा नं. 4236 रकबा 1.30 हेक्टर, खसरा नं. 4237/5023 रकबा 0.39 हेक्टर, खसरा नं. 4240 रकबा 1.00 हेक्टर कुल किता 3 रकबा 2.69 हेक्टर वाके ग्राम मांगरोल की आराजी में प्रतिवादी रेस्पोडेंट कम 1 का 1/2 हिस्सा घोषित कर पृथक खाते दर्ज करने एवं उपरोक्त वर्णित आराजी में दर्ज सहखातेदार सत्य बाई उर्फ तुलसा जोजे सच्चीदानंद, मन्नीबाई पुत्री सच्चीदानंद हिस्सा 1/3 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किये जाने का आदेश जारी कर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में भी अपने निर्णय दिनांक 11.03.2014 से इसी प्रकार का आदेश जारी किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त दोनों निर्णयों के अवलोकन से यही स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि विवादित आराजी में प्रतिवादी रेस्पोडेंट क्रम 1 व उसके पिता का नाम 1/3 हिस्से में राजस्व रिकॉर्ड में प्रारम्भ से ही चला आ रहा है, इसकी पुष्टि पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड से भी होती है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना है कि एक सहखातेदार का दूसरे सहखातेदार के विरुद्ध प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 3 व 4 के विवेचन में अंकित किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के समय वादीगण का कब्जा हो ऐसा कोई दस्तावेज वादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया, जो सही है। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के साथ प्रतिवादी रेस्पोडेंट क्रम 1 मोहनलाल या उसके पिता गोरधन का नाम बराबरी से सहखातेदार के रूप में विवादित आराजी में अंकित होना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न राजस्व रिकॉर्ड से स्पष्ट है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा अपने इस कथन की पुष्टि के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि प्रतिवादी रेस्पोडेंट कम 1 के पिता गोरधन ने विवादित आराजी का हकत्याग छप्पनी बाई के पक्ष में कर दिया था। वादीगण अपीलांट वादपत्र में अंकित अपने कथन को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करने में असफल रहा है। साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रतिकूल कब्जे के आधार सहखातेदार का नाम राजस्व रिकॉर्ड से

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हटाते हुए खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है।

वादी अपीलांट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12.11.2022 को जो डिक्री व निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत में पारित किया है वह अपीलांट को नोटिस दिये बिना व बिना सुने ही पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के व सी.पी.सी. के प्रावधानों को विपरीत है। इस संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उभयपक्ष की बहस दिनांक 12.10.2022 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनी जा चुकी थी तत्पश्चात पत्रावली दिनांक 20.10.2022 को वास्ते आदेश में नियत की गई अर्थात पत्रावली पर पक्षकारान की सुनवाई पूर्ण हो चुकी थी। इससे वादीगण के उक्त कथन का खण्डन हो जाता है कि उन्हें सुने बिना ही निर्णय पारित किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन पश्चात हम अपील के इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2022 विधिसम्मत होने के कारण उसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले, अपील. सं. 2022/218 (कांउटर क्लेम) अपील सं. 2022/220 प्राथमिक डिक्री सारहीन होने के कारण खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.11.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/01/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Iud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1. ओम प्रकाश आत्मज भंवरलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी मांगरोल, जिला बारां (राज0)
2. भूली बाई पत्नी पुरुषोत्तम, जाति ब्राह्मण, निवासी मांगरोल, जिला बारां हाल निवासी कोयला, जिला बारां (राज0) मृतक कायम मुकामान :–
   2/1 बालकिशन
   2/2 चन्द्र मोहन
   2/3 धर्मेन्द्र
   2/4. कृष्णा
   2/5. विष्णु बाई
   2/6 साधना बाई
   2/7. सुनिता बाई
   पिसरान स्वर्गीय पुरुषोत्तम, जाति ब्राह्मण, निवासी मांगरोल, जिला बारां (राज0)

.... **अपीलांट**

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र गोरधन, जाति ब्राह्मण, निवासी धतुरिया, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज0)
2. रामनारायण उर्फ बद्रीलाल, जाति माली, निवासी भगवानपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बांरा (राज0)
   मृतक कायम मुकामान :–
   2/1 लक्ष्मीचन्द
   2/2 बिहारी लाल
   2/3 ओम प्रकाश
   2/4 घनश्याम
   2/5 अशोक
   पिसरान रामनारायण, जाति माली, निवासीगण वार्ड नम्बर 1, भगवानपुरा मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां राजस्थान
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बांरा (राज0)

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं **2022/220**
मु.द.नं0 **162/2006**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल**
निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक – **12.11.2022**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **18 माह 12 सन् 2024**

श्री **ओ.पी.मेंहता** ।। एवं श्री **अरूण कुमार जैन** अभिभाषक अपीलांट की ओर से,
श्री **ओम भारद्वाज** एवं श्री **देवकी नन्दन गालव** अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से, **शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील सं. 2022/220 प्राथमिक डिकी सारहीन होने के कारण खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.11.2022 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **16 माह 01 सन् 2025** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)